



संख्या-1/21149/2025-पै0एवंआर0-28/पाकालि/2025 दिनांक 14-08-2025

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.06.2025 को सम्पन्न 213(56)वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0पा0का0लि0 अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 2004 के नियम-49.0 "Deductions" के बिन्दु (a)(ii) को एतद्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

वर्तमान में अंकित प्राविधान स्तम्भ-1	नव प्रतिस्थापित प्राविधान स्तम्भ-2
49 (a)(ii) all amounts representing such contribution and interest, if the subscriber within five years of the commencement of his service as such, resigns from the service or ceases to be an employee under the Corporation otherwise than by reason of death, superannuation, or a declaration by a competent medical authority that he is unfit for further service, or the abolition of the post or the reduction of establishment.	49 (a)(ii) If any employee is dismissed or removed from the service as punishment by Competent Authority before completing 5 years of service, in such situation, the remaining amount will be paid to such employee after deducting employer's contribution and interest earned thereon from the final balance of the employee's CPF account, i.e. only employee's CPF contribution and interest earned on it will be paid. Apart from the circumstances mentioned in para above, in case employees leaves the service in any other circumstances such as retirement, death or resignation etc. before completion of 5 years of service, the final balance of the employee's CPF account (employee's contribution, employer's contribution and accrued interest) will be paid in full. In the above circumstances, in case the final payment of CPF account is made to the employee/claimant or transferred to any other department, the liability of interest will be as per the provision in Rule 34 "Interest" of UP Power Corporation Contributory Provident Fund Rules, 2004.

The above amendment in Rule 49(a)(ii) will be effective retrospectively from the applicability of the UPPCL CPF Rules, 2004 i.e., 01.04.2004.

उक्त संशोधन के पश्चात् ऐसे सभी अंतिम भुगतान मामलों में जिनमें नियोक्ता का अंश और उस पर अर्जित ब्याज, आदेश संख्या-743/14/सीपीएफ ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01, दिनांक 10.05.2024 के निर्गत होने के पश्चात् रोक दिया गया है, का भुगतान संबंधित कर्मचारियों/दावेदारों को किया जाएगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 1/21149/2025-पै0एवंआर0-28/पाकालि/2025, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के अपर निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को, कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. महा निदेशक (विद्युत प्रक्षिण संस्थान), सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. सचिव (ट्रस्ट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की दिनांक 19.02.2025 को सम्पन्न 21वीं बैठक के एजेण्डा आइटम 21(6) में पारित निर्णय के अनुक्रम में प्रस्तुत टिप्पणी के सन्दर्भ में।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 11.06.2025 को सम्पन्न 213वीं बैठक के मद संख्या-213(56) में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
13. अनुसचिव (काविनी एवं विनियम) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कार्यालय जाप सं०-1/13291/2025(1) काविनी एवं विनियम-29, दिनांक 05.06.2025 के सन्दर्भ में।
- ✓ 14. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, को उ०प्र०पा०का०लि०, की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
15. सूचना पट/कट फाईल।

आज्ञा से

(राजकपूर) 14/8/25

अनु सचिव (पै०एवंआर०)